न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 18/2011

प्रार्थी–

गंगासिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपूत निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत शिव जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शिव जिला बाड़मेर
2. दलित वर्ग संघ छात्रावास शिव जरिये–
   श्री टीकमाराम पुत्र विरधाराम जाति मेघवाल निवासी बीसु कला हाल निवासी शिव जिला बाड़मेर
   श्री किसनाराम पुत्र रागाराम जाति मेघवाल निवासी फोगेरा हाल निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 2/2005 दिनांक 20.07.2005 जो अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ के नाम अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री, पुरूषोतमदास सोनी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अम्बालाल जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 27/11/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम शिव मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 2/2005 दिनांक 20.07.

जिला कलक्टर बाड़मेर

2005 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत शिव द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा संख्या 2 / 2005 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 खा के तहत जारी किया गया हैं जिसके अनुसार उस व्यक्ति का भूखण्ड / मकान पर पुराना कब्जा होना चाहिए परन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कभी भी आधिपत्य नहीं रहा है तथा अप्रार्थी सं. 2 स्वंय का कोई अस्तित्व ही नही हैं। ग्राम पंचायत शिव द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार कोई जांच नहीं की गई हैं तथा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 141 से 160 तक की अनदेखी की गई हैं। ग्राम पंचायत शिव ने अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने का आधार सभा भवन अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के पास व वृद्धों के आश्रम स्थल का होना बताया है जबकि मौके पर न तो कोई शिक्षण संस्थान हैं और न ही आश्रम बना हुआ है और न ही आज दिन तक ऐसा कोई निर्माण ही किया गया है। नियमानुसार ग्राम पंचायत को निःशुल्क भूमि देने का न तो अधिकार था और न ही ग्राम पंचायत शिव बिना किसी कब्जे के पट्टा जारी करने की अधिकारिणी थी ऐसी स्थिति में आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

3. प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत शिव के सरपंच द्वारा पट्टा सं. 2 / 2005 दिनांक 20.07.2005 को जारी करने से पूर्व इसी विवादग्रस्त भूमि के दो अन्य पट्टे दिनांक 18.07.1981 को

अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के खेल मैदान के नाम से व दूसरा पट्टा दिनांक 02.10.1981 को दलित वर्ग संघ छात्रावास के नाम से जारी किया। इनमे से पट्टा दिनांक 18.07.1981 नियम विरूद्ध व प्रारम्भ से शुन्य होने से इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2008 को खारिज किया जा चुका हैं। इसी माफिक पट्टा दिनांक 02.10.1981 भी शुन्य व अवैध होने से उसके विरूद्ध भी निगरानी याचिका आईदानसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। इसी प्रकार आलौच्य पट्टा सं. 2/2005 भी शुन्य व अवैध होने से निरस्त योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलौच्य पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा झूठे एवं बेबुनियाद आक्षेप लगाते हुए आलौच्य पट्टे के बारे में गलत तथ्य अंकित किये गये हैं। विवादित भूमि का पट्टा सही जारी किया गया हैं जिस पर वर्ष 2007 में पंचायत समिति शिव द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सं. 35 दिनांक 06.06.2007 जारी कर मौके पर सार्वजनिक सभा भवन अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के पास निर्माण हो चुका हैं। अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ छात्रावास के पक्ष में जारी पट्टा सं. 137/02.10.1981 की भूमि में से उक्त वृद्धों के लिये आश्रय हेतु 60 गुणा 40 का विवेच्य पट्टा बाद समर्पण एवं विधिक प्रक्रिया से जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पट्टा शुदा भूखण्ड में से जरिये इकरारनामा दिनांक 30.05.2005 ग्राम पंचायत शिव के पक्ष में निष्पादित किया गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत के समक्ष विधिवत प्रार्थना पत्र, मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2005, नोटिस दिनांक 10.06.2005, प्रस्ताव दिनांक 20.07.2005 पारित कर आलौच्य पट्टा विधिपूर्वक जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पट्टा संख्या 137/02.10.1981 की जमीन में से समर्पित किये जाने पर विधिसम्मत तरीके से विवेच्य पट्टा जारी किया गया हैं जिस पर राजकीय अनुदान राशि 7.54 लाख व्यय होकर सभा भवन का निर्माण वर्ष 2007 में हो चुका हैं, ऐसे मे प्रार्थी के कथन झूठे एवं बेबुनियादी हैं। अतः

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। आलौच्य पट्टे से सम्बन्धित कार्यवाही के बारे में प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन हैं कि विवादित भूमि पूर्व के पट्टा सं. 137/02.10.1981 में से समर्पण की जाकर पुनः आलौच्य पट्टा निःशुल्क जारी करवाया गया हैं तथा कानूनन पंचायत एक्ट के किसी भी नियम में निःशुल्क पट्टा देने का प्रावधान नही हैं, इसके बावजूद भी पट्टा दिनांक 02.10.1981 व उसके बाद उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी किया जाना विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 का कथन हैं कि पट्टा सं. 137/02.10.1981 में से विधिवत रूप से समर्पण इकरारनामा ग्राम पंचायत के पक्ष में निष्पादित करवाकर आलौच्य पट्टा पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी करवाया गया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि दिनांक 01.06.05 को ग्राम पंचायत शिव के समक्ष अध्यक्ष दलित वर्ग संघ शिव की ओर से 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम शिव के खसरा नम्बर 250 में दलित वर्ग संघ शिव की पट्टा शुदा भूमि रकबा 350 गुणा 200 फुट में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सभा भवन व वृद्धों के आश्रय स्थल हेतु भूखण्ड 150 गुणा 100 फुट ग्राम पंचायत के पक्ष में समर्पण किया है जो स्वीकार किया जावें। इस पर दिनांक 05.06.2005 को ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 का समर्पण स्वीकार करते हुए सार्वजनिक सभा भवन हेतु पट्टा जारी करने हेतु तीन पंचों तनसिंह, पदमसिंह व भगाराम की मौका निरीक्षण कमेटी गठित की गई। दिनांक 10.06.2005 को मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, किन्तु आवश्यक कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की गई एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाये रखने हेतु सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित किये जाने का नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2005 को किसी प्रकार का आक्षेप प्राप्त नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होने पर ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव सं. 2 पारित कर अप्रार्थी सं. 2 दलित वर्ग संघ के द्वारा समर्पित भूमि मे से 2400 वर्गफीट भूमि सामुदायिक सभा भवन एवं वृद्धों के लिये आश्रय स्थल के नाम से पट्टा निःशुल्क जारी करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु यह हैं कि आया अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पट्टा सं. 137/02.10.1981 की भूमि में से ग्राम पंचायत के पक्ष में किया गया समर्पण विधि अनुकूल रहा हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 का अद्योपान्त अवलोकन से ऐसा कोई विधिक प्रावधान होना नहीं पाया गया है। यहां अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन भी बलवत् होता हैं कि एक बार पट्टा जारी हो जाने के बाद पुनः उसी भूमि का दूसरा पट्टा जारी किया जाना अवैध हैं। अपने कथन के समर्थन में प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2017(2) डीएनजे (राज) 730 प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा पट्टे बाबत पुराने गृह का अस्तित्व होना आवश्यक बिन्दु माना गया हैं। इसी प्रकार निर्णय नजीर 2017(2) डीएनजे (राज) 668 भी प्रस्तुत की गई जिसमें 300 वर्गगज से अधिक भूखण्ड का पट्टा जारी करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत को नहीं होना निर्धारित किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 150–152 के तहत नीलामी की प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किया जाकर नियम 167(1) में जारी किया है जबकि हस्तगत प्रकरण के लिय ग्राम पंचायत की पत्रावली में इस प्रकार की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता हैं। जहां तक मौका कब्जा की स्थिति का प्रश्न हैं तो तहसीलदार शिव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 23.05.2018 में अंकित किया हैं कि विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्मित, अर्द्धनिर्मित ढांचा नहीं पाया गया तथा मौके पर या आस–पास उक्त प्रकार की संस्था नहीं पाई गई हैं। जहां तक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपनी पट्टाशुदा भूमि मे से एक भाग का समर्पण ग्राम पंचायत के समक्ष किये जाने का विधिक प्रश्न हैं तो अप्रार्थी सं. 2 के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर बाड़मेर

एक विधिक व्यक्ति हैं तथा विधिक व्यक्ति की ओर से किसी भी कार्यवाही, संविदा इत्यादि में भाग लेने से पहले उसकी कार्यकारिणी अथवा निदेशक मण्डल की ओर से इस आशय का प्रस्ताव पारित किये जाने के उपरांत ही उक्त संविदा अथवा कार्यवाही मान्य की जा सकती हैं। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी सं. 2 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह साबित हों कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत शिव के पक्ष में किया गया समर्पण विधिसम्मत हुआ हैं। ऐसे में आलौच्य पट्टे की कार्यवाही हेतु प्रथम सीढी के रूप में भूखण्ड का समर्पण ही विधिपूर्वक नहीं होने से पश्चातवर्ती समस्त कार्यवाही स्वतः ही अवैध एवं अनियमित हो जाती हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा सं. 02/2005 जारी करने में की गई विधिक एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर उक्त पट्टा काबिल निरस्त प्रतीत होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत शिव द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 2/2005 दिनांक 20.07.2005 निरस्त किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 27.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 18:31:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: